संचिका सं0–नो0प0/बि0प्र0सु0मि0सो010–01/2009 13690

बिहार सरकार

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी

(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग)

जिला स्थापना शाखा

प्रेषक,

दीपक कुमार
मिशन निदेशक–सह–
सरकार के प्रधान सचिव

जिलाधिकारी एवं समाहर्ता
29 DEC 2009

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार

पटना, दिनांक– 22-12-09

विषय : जन शिकायतों के निष्पादन को सुदृढ़ करने हेतु सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों एवं Executive Assistant के चयन के संबंध में ।

महाशय,

विभिन्न स्रोतों से तथा जनता दरबार में मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव कोषांग, विभिन्न जिला पदाधिकारियों के जनता दरबार आदि से काफी बड़ी संख्या में जन शिकायतें सृजित हुई हैं ।

2. इन आवेदनों के निष्पादन के लिए Systemic परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य मूल रूप से निम्न होंगे :–

(i) विभागों/जिला पदाधिकारियों के स्तर पर आवेदनों की प्रकृति की समीक्षा करना एवं बहुत सारे आवेदन जो समीक्षा के उपरांत मूल स्रोत पर ही निष्पादित हो सकते हैं, उन्हें निष्पादन करने की कार्रवाई करना । वर्तमान में ये अनावश्यक एवं रुटीन ढंग से नीचे के पदाधिकारियों को जाँच हेतु भेजा जा रहे हैं ।

(ii) पदाधिकारियों/निरीक्षी पदाधिकारियों की टीम तैयार करना और उन्हें सुविधायें देना ताकि उनके द्वारा शिकायतों का स्थलीय निरीक्षण कर निष्पादन किया जा सके । वर्तमान में क्षेत्रीय स्तर पर यह कार्य सामान्यतया कार्यपालक दंडाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी / थाना प्रभारी के द्वारा किया जाता है और कार्य व्यस्तता होने के कारण इनके द्वारा वांछित तेजी नहीं आ पाती है ।

3. इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी की शासी परिषद् की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि निम्न अनुसार ग्रिभांस रिड्रेसल सिस्टम को सुदृढ़ करने की कार्रवाई की जाए :–

(i) 10 महत्वपूर्ण विभागों में एक–एक सेवानिवृत्त पदाधिकारी exclusively लोक शिकायतों के निष्पादन के उद्देश्य से रखे जाएँ ।

4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए :– (क) ..... पंक्ति । 12

(ii) सभी जिला पदाधिकारियों के स्तर पर प्रति 6 प्रखंड पर एक सेवानिवृत्त पदाधिकारी के दर पर पदाधिकारी रखे जाएँ।

(iii) इन सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के साथ एक–एक Executive Assistant को रखा जाए।

(iv) इनके साथ भाड़े पर एक वाहन दिया जाए।

(v) सभी आरक्षी अधीक्षकों के साथ भी एक–एक सेवानिवृत्त पदाधिकारी दिए जाएँ और उनके साथ भी एक Executive Assistant की समरूप व्यवस्था की जाए।

(vi) मिशन के मुख्यालय स्तर पर ग्रीवांस रिड्रेशल सेल विकसित किया जाए।

4. मिशन द्वारा विभिन्न स्तरों पर सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की सेवा लेने हेतु निम्न प्रकार मापदंड निर्धारित किए गए है :–

(क) विभिन्न विभागों के स्तर पर – कुल– 10

(ख) सभी जिला पदाधिकारियों के स्तर पर – प्रत्येक 6 प्रखंड पर एक की दर से, लेकिन न्यूनतम प्रति जिला– 2 पदाधिकारी

(ग) सभी आरक्षी अधीक्षक/जिला पदाधिकारी–कुल 40 पदाधिकारी

उपरोक्त मानक के आधार पर प्रत्येक जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक कार्यालय के लिए अनुमानित रिक्तियों की संख्या तय कर दी गयी है जो इस पत्र के साथ संलग्न है ।

विभाग के स्तर पर प्रावधानित 10 पद किन विभागों के लिए कर्णाकित होंगे, इस संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा ।

(ii) इन सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के लिए निम्न सेवाओं से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को लिया जा सकेगाः–

(क) बिहार प्रशासनिक सेवा

(ख) बिहार पुलिस सेवा

(ग) बिहार वित्त सेवा

(घ) बिहार अभियंत्रण सेवा

(ड़) बिहार स्वास्थ्य सेवा

जन शिकायतों का निष्पादन करना प्रशासनिक कार्य है, इसलिए चयन में प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(iii) इस चयन में आरक्षण का पालन हो इसलिए निम्न अनुसार पदों को समूहीकृत किया जाएगा और चयन किया जाएगा।

(क) सचिवालय के लिए 10 पदों का समूह

(ख) प्रत्येक जिला में जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक के लिए कर्णाकित पदाधिकारियों का समूह

(iv) इन पदाधिकारियों को वेतन माईनस पेंशन की दर पर मासिक राशि भुगतान की जाएगी। पदाधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा 64 वर्ष होगी चूँकि संविदा पर

चयन हेतु आयु की अधिकतम सीमा 65 वर्ष निर्धारित है। यह चयन प्रथम चरण में एक वर्ष के लिए होगा जिसे extend किया जा सकेगा।

(v) <u>चयन की प्रक्रिया:–</u>

मिशन के द्वारा एक एकीकृत विज्ञापन निकाला जाएगा जिसमें इच्छुक सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को अपने इच्छानुसार विभिन्न जिलों/सचिवालय में काम करने हेतु ओवदन माँगे जाएँगे।

(vi) सचिवालय एवं जिला स्तर पर निम्न अनुसार चयन समिति होगी:–

<u>सचिवालय के 10 पदाधिकारियों के लिए</u>

(a) मिशन निदेशक : अध्यक्ष
(b) अपर मिशन निदेशक
(c) अनुसूचित जाति के पदाधिकारी जो कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग द्वारा नामित होंगे।
(d) वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि
(e) निगरानी विभाग के एक प्रतिनिधि

<u>जिला स्तर पर</u>

(a) जिला पदाधिकारी : अध्यक्ष
(b) आरक्षी अधीक्षक
(c) उप विकास आयुक्त
(d) अनुसूचित जाति के पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होंगे।

(vii) चयन करते समय यदि अधिक संख्या में आवेदन आते हैं तो समान शर्त्त रहने पर अपेक्षाकृत कम उम्र वाले पदाधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी (क्षेत्र भ्रमण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए)।

(viii) आवेदक को एक प्रतिशपथ पत्र देना होगा जिसमें उनके विरुद्ध कोई निगरानी एवं आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो और उन पर कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही हो।

(ix) नियुक्ति में आरक्षण का पालन किया जाएगा । इसके लिए नये रोस्टर पंजी का संधारण मिशन सोसाइटी एवं जिला स्तरों पर किया जाएगा क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि इसके लिए पदों को बढ़ाया जाए।

(II) सभी पदाधिकारियों के साथ एक–एक Executive Assistant की सेवाएँ देनी है । Executive Assistant की सेवा लेने के बारे में प्रस्ताव यह है कि पूरा कार्य टर्न–की के आधार पर निम्न अनुसार दिया जाए:–

(क) जो Executive Assistant के रूप में कार्य करना चाहेंगे उन्हें अपने साथ निम्न कंप्यूटर / हॉर्डवेयर लाने होंगे:–

(a) एक डेस्कटॉप

(b) एक प्रिन्टर(black & White)

(c) एक यू0पी0एस0

(d) इंटरनेट कनेक्शन

(ख) इसके लिए 6,000/— रु0 की राशि प्रतिमाह Lump sump की राशि दी जाय । तदनुसार एक विज्ञापन निकालकर ऐसे इच्छुक व्यक्तियों से विभिन्न जिलों में आवेदन देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जो उपरोक्त दर पर कार्य करने के लिए तैयार है। आवश्यकता से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी एक समिति बनायेंगे जिसमें एन0आई0सी0 के एक प्रतिनिधि होंगे और इनका चयन कर सकेंगे।

(II) वाहन भाड़े पर रखने के बारे में अलग से निर्देश मिशन द्वारा निर्गत किया जाएगा ।

5. प्रथम दृष्टतया इन पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा जो कार्य संपादन किया जाना है, उसे संक्षिप्त रूप से उल्लेख कर दिया गया है । लेकिन इनके कार्यों के monitoring तथा असंतोषजनक कार्य करने पर सेवा से हटाये जाने से संबंधित विस्तृत TOR अलग से भेजा जाएगा ।

6. इस संबंध में सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों के लिए एवं Executive Assistant के लिए एक विज्ञापन भी निर्गत किया जा चुका है और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए आपके यहाँ आवेदन देने की तिथि दिनांक 19.12.2009 है एवं Executive Assistant के लिए 25.12.2009 है ।

7. अनुरोध है कि तदनुसार सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों एवं Executive Assistant का चयन कर लिया जाए और यह कोशिश की जाए कि पहली जनवरी से इस सुदृढ़ व्यवस्था के आलोक में सभी पुराने लंबित जन शिकायतों का निष्पादन 31.3.2010 तक निश्चित रूप से हो जाए और अप्रैल माह से जन शिकायतों का नियमित एवं सुचारू रूप से निष्पादन हो – यह भी सुनिश्चित की जाए ।

8. उनके लिए दी जाने वाली राशि अलग से चेक के माध्यम से भेजी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

Dupal 22/12

(दीपक कुमार)

मिशन निदेशक–सह–

सरकार के प्रधान सचिव